कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

ब्लाक–बी, द्वितीय एवं तृतीय तल विभागाध्यक्ष कार्यालय,
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

दूरभाषा न. 2511920, फैक्स : 2511918 ई–मेल – rcs.coop@nic.in

क्रमांक / साख / 2014 / 5352 रायपुर, दिनांक 03 नवम्बर 2014

परिपत्र

प्रति,

समस्त शीर्ष / केन्द्रीय / प्राथमिक

सहकारी संस्थाए, छत्तीसगढ

विषय :– प्रदेश की सहकारी संस्थाओं में कर्मचारियों के लिए आरक्षण के संबंध में।

––00––

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंको के एसोसिएशन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशो के परिप्रेक्ष्य में जिला सहकारी केन्द्रीय बैको में आरक्षण समाप्त किये जाने बाबत् पत्राधार किया जाता रहा है। जिसे छ.ग. शासन को प्रेषित किया गया।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में छ.ग. शासन सहकारिता विभाग के पत्र क्र. / एफ 15–20 / 15 / 02 / 2013 / 2346 दिनांक 29.10.2014 द्वारा प्रदेश की सहकारी संस्थाओं में कर्मचारियों के भर्ती तथा पदोन्नति में आरक्षण के संबध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22 / 02 / 2007 (अपील (सिविल) 2661 / 2004) एंव माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ बिलासपुर द्वारा डब्ल्यू.पी. नंबर 2133 / 2011 में पारित आदेश दिनांक 09 / 08 / 2011 के रिव्यु / अपील के संबंध मं महाधिवक्ता छत्तीसगढ से प्राप्त अभिमत अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मुख्याश निम्नानुसार है :–

"Therefore, reading of objective of the Act of 1994 along with, the definition of establishment it transpires that the Registrar under Section 55 of the Act of 1960 can lay down service condition for co-operative society in which the State has 51 percent of share Capital. In case any Co-operative Society in which the State does not have 51 percent of share capital, then that Co-cperative Society will not come within the definition of establishment under section 2(b) of the Act of 1994 and the Registrar of Cooperative Societies shall have no power to frame rule for reservation, it is true that under Section 55 of the Act of 1960 the Registrar can given direction for reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other Backward classes while exercising the mandate under Article 16(4-A) of (he Constitution but at the time he cannot ignore the State legislation i.e. the Act of 1994. In fact the Act of 1994 was also promulgated for achieving the object under Article 16(4-A) of the Constitution. Once the State Legislature has framed an Act which is subsequent legislation in point of time i.e. the Madhya Pradesh Co-operative Act, 1960 (Act 17 of 1961) came in 1960 whereas the present Act has come in 1994. It is presumed that Legislature was aware of the power of the Registrar of the Co-operative Societies under Section 55 of the Act of 1960 to frame condition of service of employees of Co-operative Societies despite that the Legislature has promulgated the Act of 1994 and laid down ceiling that the reservation in favour of Sheduled Castes, Sheduled Tribes and

other Backward classes should be made in the establishment where Government has more than 51% share holding. Thus, on reading of both these two enactments it is more than clear that the Registrar of Cooperative Societies under section 55 of the Act 1960 has power to frame rules but at the same he cannot ignore the impact of the Act of 1994. The Registrar of Co-operative Societies can lay down the reservation in favour of scheduled castes, Sheduled Tribes and other Backward classes as general condition of service only in co-operative societies in which the State has more than 51 percent paid up share capital and not for any other co-operative societies. But the notification dated 06/03/1997 is of general in nature and does not make any distinction with Co-operative societies which do not have 51 percent paid up share capital of State. Therefore, to this extent the rule framed by the Registrar of Co-operative Societies, Madhyapradesh by notification dated 06/03/1997 cannot be upheld and the same is struck down. But by this it does not mean thate Registrar of Co-operative Societies, Madhya pradesh is not denuded^of his power to frame rules but he will have to keep in view the impact of the Act of 1994"

उक्तानुसार छ.ग. शासन सहकारिता विभाग द्वारा उक्त मार्गदर्शन एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22/02/2007 के अनुसार समुचित कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के प्रकाश में छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत एवं पंजीकृत समझी गयी सहकारी संस्थाओं के लिए छत्तीससगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 55(1) के अंतर्गत समय –समय पर जारी सेवा नियम में उल्लेखित आरक्षण से सबंधित प्रावधान ऐसी सहकारी संस्थाए जिनमें राज्य सरकार द्वारा धारित समादत्त अंशपूंजी 51 प्रतिशत से कम है उन संस्थाओं के सेवानियम में उल्लेखित आरक्षण से संबंधित प्रावधान निष्प्रभावी होगें।

सही

(अविनाश चम्पावत)
पंजीयक
सहकारी संस्थाए, छत्तीसगढ

क्रमांक/साख/2014/5352 रायपुर दिनांक 03 नवम्बर 2014

प्रतिलिपि –

01. विशेष सहायक, माननीय सहकारिता मंत्री जी छ.ग. शासन।
02. विशेष सचिव, छ.ग. शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय महानदी भवन की ओर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/एफ 15–20/15/02/2013/2346 दिनांक 29/10/2014 के परिप्रेक्ष्य में।
03. कमिश्नर, रायपुर/बिलासपुर/अम्बिकापुर/दुर्ग/जगदलपुर संभाग।
04. कलेक्टर समस्त छ.ग.।
05. संयुक्त/उप/सहायक/पंजीयक, सहकारी संस्थाऐ समस्त छ.ग. की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र समस्त प्रकार की सहकारी संस्थाओं को उपलब्ध करावें।
06. समस्त राजपत्रित अधिकारी/कक्ष प्रभारी समस्त मुख्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाए, छत्तीसगढ